

प्रत्यक्ष और परीक्षा करो में अन्तर बराबर। दोनों में कर्म
अन्वेषण है। इसके गुण दोषों की निरूपण।

प्राचीन समय से ही विद्वानों के बीच इस बात के लिए
मतभेद रहा है कि एक ही तरह का कर हो या अनेक
तरह का। कुछ समाजवादी अर्थशास्त्री आद्य एवं
सम्पत्ति पर ही कारारोपण पसन्द करते थे पर
आधुनिक अर्थशास्त्री बहुकर प्रणाली में विश्वास
करते हैं। आर्थर पेंग के अनुसार करों की
धोखा धोखा करके कई मदों में बाँट देना चाहिए।
बेशक प्रकार बहुकर प्रणाली ही आधुनिक युग में
कारारोपण की मुख्य प्रणाली बन गई है।

जहाँ तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष
कर का प्रश्न है यह राजस्व में बहुत ही
महत्वपूर्ण है। दोनों की अपनी-अपनी विशेषता है
और दोनों मिलकर किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण
भूमिका निभाती है।

प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का
भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिससे सरकार रकम
चाहती है। वह इसके भार को स्वयं सहन करता है और
दूसरे पर इसे नहीं टाल सकता है। वहीं दूसरी ओर
अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका दबाव किसी
और पर पड़ता है और उसका भार कोई और
बहन करता है।

डाल्टन ने प्रत्यक्ष और परीक्षा कर की
परिभाषा देते हुए कहा कि एक प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति
द्वारा चुकाया जाता है जिसपर वैधानिक रूप से
लगाया जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति पर
लेकिन उसे प्रकृत: या आंगिक रूप से अन्य
व्यक्तियों द्वारा चुकाया जाता है।

Prof. Sircar के अनुसार वे कर
जो मुख्य ही व्यक्तियों की आय अथवा सम्पत्ति पर

लगाये जाते हैं जिनका भुगतान उपभोगियों द्वारा सरकार को सीधा है जबकि अन्य सभी कर जैसे ध्वसाप-मनोरंजन, बिली इत्यादि पर लगाये जाते हैं परीक्ष कर के समूह में रखे जाते हैं।

Marks के अनुसार - प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर का अन्तर करदाता तथा राजस्व के अधिकारियों के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष कर उसी पर लगाया जाता है जिसके पाकेट से सरकार वसूलना चाहती है और Indirect tax वह है जिसका impact और incidence अलग-अलग धर्मियों पर पड़ता है।

प्रत्यक्ष करों के गुण :- →

(i) न्धाय पूर्ण → प्रत्यक्ष कर लोगों की करदान योग्यता के आधार पर लगाये जाते हैं। जिसकी जितनी आय प्राप्त होती है वह उतना ही tax देना है। इसलिए यह tax न्धाय पूर्ण है।

(ii) निश्चितता → प्रत्यक्ष कर सरकार और धर्मियों दोनों के लिए निश्चित होता है। सरकार भी जानती है कि उसे इस कर से कितनी आय प्राप्त होगी और धर्मियों भी जानता है कि उसे कितनी और कहां कर देना है।

(iii) लौचकता :- → Direct tax लौचदार होता है। इसमें समथ और परिमितिके अनुसार सरकार अपनी आय के अनुसार कमी या वृद्धि कर देती है।

(iv) मितथीता → Direct tax कुछ ही धर्मियों पर लगाया जाता है जिसे वसूलने के लिए कम खर्च पड़ता है। इसलिए यह मितथीता है।

(V) मांगारिकता की भावना : → प्रत्यक्ष कर देनेवाला व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति सतर्क रहता है एवं आवश्यकता के अनुसार सरकार पर अंकुश भी लगाता है।

(VI) उत्पादकता → Direct tax में उत्पादकता का गुण मौजूद होता है। इससे सरकार को आर्थिक विकास में मदद मिलती है।

→ दीर्घ →

(I) करों की चोरी → प्रत्यक्ष कर चुकाने वाले व्यक्ति को सीधे प्रभावित करता है इसलिए व्यक्ति का हिसाब बंधार करता है और कर से बचता है।

(II) अनुविधाजनक → कर चुकाने के पहले आय व्यय का लेखा जोखा करना पड़ता है जिससे बड़ा ही दिक्कत होता है।

(III) सीमित क्षेत्र → इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है सिर्फ वही लोग ही इस कर को चुकाते हैं जिसपर लगाया जाता है।

(IV) इससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ज्यादा उत्पादन करने पर ज्यादा कर देना पड़ता है।

(V) चुकाने वाले कर बहुत कम लोगों पर ही लगाया जाता है जिससे आय पर कोई भी नतीजा नहीं मिल पाता है।